न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या:– 2022 / 219 दर्ज तिथि:– 26.07.2022

1. सरिस्का होटल एण्ड रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड हाउस नम्बर 10, तृतीय फ्लोर, सत्य निकेतन, नई दिल्ली 110021 जरिये अधिकृत प्रतिनिधि सुरेन्द्र सिंह राठौड़ उम्र करीब 57 पुत्र सोहनसिंह राठौड़ निवासी ग्राम महलाना पोस्ट महलाना तहसील राजगढ़ जिला चुरू राजस्थान हाल निवासी ग्राम सूरतगढ पोस्ट क्यारा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.... प्रार्थी

बनाम

1. नारायण पुत्र कजोड
2. सीताराम पुत्र कजोड
3. कमली पुत्री कजोड
4. रमा पुत्री कजोड
5. धोली पुत्री कजोड
6. बादामी पुत्री कजोड
7. बाई पुत्री जोधा
   समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान ग्राम सूरतगढ तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
8. बाबूलाल पुत्र गंगासहाय
9. मदन पुत्र बिरदू
10. रामसिंह पुत्र बिरदू
11. संतोष पुत्री बिरदू
12. राधे पुत्र गंगासहाय
13. सियाराम पुत्र सम्पत
    समस्त जातियान कीर निवासीयान ग्राम सूरतगढ तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
14. प्रज्ञानन्द पुत्र धोलाराम नाबालिग बसरपरस्ती ताऊ सियाराम
15. चिरंजीलाल पुत्र धोलाराम नाबालिग बसरपरस्ती ताऊ सियाराम
16. कोमल पुत्री धोलाराम नाबालिग बसरपरस्ती ताऊ सियाराम
17. मोहनलाल पुत्र रामसहाय बालिग
    समस्त जातियान कीर निवासीयान ग्राम सूरतगढ तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
18. कबूल पुत्र बोदया
19. कैलाश पुत्र बोदया
20. कैलाश पुत्र बोदा

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

21. काली पुत्री बोदया
22. बाई देवी पुत्री जोधा
23. धोली पुत्री जोधा
24. हनुमान पुत्र मांग्या
25. रमा पत्नी बोदया
26. कजोड पुत्र सादा
27. कमली पत्नी रामनिवास
28. केसन्ती पुत्री रामनिवास नाबालिग बसरपरस्ती कमली माता खुद
29. माधव पुत्र भौरा
30. रामप्रताप पुत्र भौरा
31. कैलाश पुत्र भौरा
32. बादामी पुत्री भौरा
33. नाथी पत्नी भौरा
34. ममता पुत्री रामनिवास
35. महेश पुत्र रामनिवास
36. सुमन पुत्री रामनिवास नाबालिग बसरपरस्ती कमली माता खुद
37. हरि पुत्र रामनिवास
38. हीरा पुत्री रामनिवास नाबालिग बसरपरस्ती कमली माता खुद
    समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान काबलीगढ तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
39. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर राज0
40. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर राज0

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ताः–
प्रार्थीः–श्री महेन्द्र शर्मा।
अप्रार्थीः– श्री चन्द्रशेखर शर्मा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क
राजस्थान काश्तकारी अधि.–1955

–:निर्णय:–

दिनांक 21.07.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी व चाह 10/1.29 है0, 11/0.20 है0, 12/0.43 है0, 13/0.39 है0, 14/0.02 है0, 15/0.95 है0, 16/0.72 है0, 17/0.33 है0, 18/0.41 है0, 19/0.14 है0, 128/0.01 है0, 46/0.57 है0, 47/0.24 है0, 48/0.70 है0 वाके ग्राम सूरतगढ में पहुँच के प्रयोजन के लिए मौके पर विद्यमान मार्ग खसरा संख्या 67/0.24 है0 गै0 मुमकिन पाल वाके ग्राम सूरतगढ जहाँ गैर मुमकिन पाल की साईड में ग्रेवल सड़क बना हुआ है, वहाँ से खसरा संख्या 43/0.25 है0, 44/0.27 है0, 40/0.16 है0, 34/0.50 है0, 33/0.31 है0, 56/0.13 है0,

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

55/0.25 है0, 57/0.18 है0, 61/0.34 है0, 62/0.77 है0, 64/0.15 है0, 65/0.43 है0 के उत्तरी भाग से होकर करीब 4500 फीट लंबाई तथा 30 फीट चौडाई का नवीन रिकॉर्डेड रास्ता हेतु अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की आराजीयात तक कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है तथा उक्त आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघूत्तम मार्ग का विकल्प नहीं होने के कारण उक्त आवेदित रास्ते को करीब 30 फुट चौडाई में रिकॉर्ड में दर्ज कर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये इश्तहार तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01, 02, 13-16, 18, 20, 21 व 25 के अतिरिक्त सभी अप्रार्थीगण के बावजूद विधिवत तामील हाजिर न्यायालय नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 01, 02, 13-16, 18, 20, 21 व 25 द्वारा असालतन-वकालतन उपस्थित होकर जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र में मौके पर जो रास्ता पहुँच हेतु बताया है, वह मार्ग प्रार्थी ने कभी भी उपयोग-उपभोग नहीं किया है। प्रार्थी की आराजी तक पहुंचने हेतु मौके पर हाल आराजी खसरा संख्या 341 गैर मुमकिन सडक के पश्चिम से शुरू होकर आराजी खसरा संख्या 342 किस्म गैर मुमकिन राडा के मध्य से होकर खसरा संख्या 27 किस्म गैर मुमकिन राडा के उत्तरी पूर्वी कोने से होते हुये आराजी खसरा संख्या 28 किस्म गैर मुमकिन राडा के मध्य से होता हुआ प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 46 में बने लौहे के गेट तक मौके पर जारी है। इसके अतिरिक्त एक अन्य वैकल्पिक रास्ता राजस्व गांव सूरतगढ की आबादी में बनी शीशी सडक के पश्चिम से शुरू होकर खसरा संख्या 54 किस्म गैर मुमकिन राडा, खसरा संख्या 53 किस्म गैर मुमकिन राडा, खसरा संख्या 49 किस्म गैर मुमकिन राडा से होकर प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 47 में बने लौहे के गेट तक मौके पर जारी है। इस प्रकार प्रार्थी की आराजी तक पहुंचने हेतु मौके पर दो वैकल्पिक रास्ते जारी है। प्रार्थी ने राजस्व विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.11.2004, 14.06.2013 व 30.09.2021 का हवाला देते हुये मौके पर चालु उक्त रास्तों को रिकॉर्ड में दर्ज कर प्रार्थी की आराजी तक रिकॉर्डेड रास्ते पहुंच किये जाने के प्रावधान इंगित किये। इसके अतिरिक्त प्रार्थी ने हाल आराजी खसरा संख्या 64/0.15 है0 किस्म गै0मु0 पाल से भी रास्ता चाहा है। गैर मुमकिन पाल के प्रतिबंधित किस्म होने तथा मौके पर एनीकट बने होने के कारण रास्ता कायम करना विधिक एवं व्यावहारिक रूप से उचित नहीं होना बताया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की आराजी तक वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता होने एवं मार्ग की अत्यान्तिक आवश्यकता नहीं होने व नवीन रास्ता में एनीकट बने होने के आधार पर प्रार्थी का अनुतोष पोषणीय नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारीज करने का निवेदन किया है।

3. प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी से राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 के अनुसार मौका जॉच रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी द्वारा दिनांक 27.02.2023 को मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित की। जो कि शामिल मिसल की गई।

4. प्रकरण में अप्रार्थी अधिवक्ता ने मौका रिपोर्ट पर ऐतराज प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया कि भू-अभिलेख निरीक्षक ने मौके पर विद्यमान अन्य वैकल्पिक रास्तों का उल्लेख मौका रिपोर्ट में नहीं किया। मौका रिपोर्ट में जिस मार्ग का उल्लेख किया है, उस मार्ग में तरूण भारत संघ का एनिकट बना हुआ है। उक्त एनिकट के बारे में भू-अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया। अन्त में निवेदन किया कि ऐतराज प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए पुनः मौका रिपोर्ट तलब किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

5. प्रकरण में विद्वान उभयपक्षकारान की जिरह सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने–ए–जिरह प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए मुताबिक प्रार्थना–पत्र अनुतोष स्वीकार करते हुए प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र अन्य वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता एवं आन्यान्तिक आवश्यकता नहीं होने के कारण खारिज फरमाने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण का मौका रिपोर्ट पर एतराज प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण किया गया। दौराने मौका निरीक्षण उभय पक्षकारान मौके पर उपस्थित मिले। दौराने मौका निरीक्षण अप्रार्थीगण ने बताया कि प्रार्थी की आराजी तक पहुंच हेतु मौके पर दो वैकल्पिक रास्ते चालू है। पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त दोनों वैकल्पिक रास्तों का मौका देखने एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त दोनों वैकल्पिक रास्ते गैर मुमकिन राडा भूमि किस्म में से होकर मौके पर अस्थाई रूप से चालू है। दौराने मौका निरीक्षण अप्रार्थीगण ने बताया कि अगर प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता का अनुतोष स्वीकार किया जाकर मौके पर रास्ता चालू किया जाता है तो अप्रार्थीगणों द्वारा अपने–अपने खेतों पर बरसाती नाले के पानी को रोकने हेतु बनायी गई पालनुमा मेडों के टूटने से बरसाती पानी का रूकाव नहीं होने तथा मिट्टी का कटाव होने से अप्रार्थीगणों की आराजी उपजाऊ नहीं रह जायेगी। इस पर दौराने मौका निरीक्षण उपस्थित प्रार्थी ने बताया कि अप्रार्थीगणों द्वारा अपने–अपने खेतों पर बरसाती नाले के पानी को रोकने हेतु बनायी गई पालनुमा मेडों को मौके पर नवीन रास्ता चालू करने पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाकर ही नवीन रास्ते चालू किया जायेगा। इसके साथ ही दौराने मौका निरीक्षण अप्रार्थीगण ने बताया कि अगर प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता का अनुतोष स्वीकार किया जाकर मौके पर रास्ता चालू किया जाता है तो अप्रार्थीगणों की आराजी का रकबा कम हो जाने से कृषि योग्य भूमि बहुत कम रह जायेगी। इस पर दौराने मौका निरीक्षण उपस्थित प्रार्थी ने बताया कि अप्रार्थीगणों की खातेदारी आराजी में से नवीन रास्ता कायम किये जाने पर रास्ते में आई खातेदारी भूमि के एवज में प्रार्थी क्षतिपूर्ति में समान रकबे की भूमि अप्रार्थीगणों को उसी स्थान पर उपलब्ध करवायेगा। इस बाबत प्रार्थीगण ने पत्रावली पर शपथ–पत्र प्रस्तुत किया।

6. प्रकरण में बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की खातेदारी तक पहुंच हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी हाल खसरा संख्या 67 / 0.24 है0, 43 / 0.25 है0, 44 / 0.27 है0, 40 / 0.16 है0, 34 / 0.50 है0, 33 / 0.31 है0, 56 / 0. 13 है0, 55 / 0.25 है0, 57 / 0.18 है0, 61 / 0.34 है0, 62 / 0.77 है0, 64 / 0.15 है0, 65 / 0.43 है0 के उत्तरी भाग से होकर करीब 4500 फीट लंबाई तथा 30 फीट चौडाई का नवीन रिकॉर्डेड रास्ता हेतु अनुतोष स्वीकार करने का निवेदन किया। दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब के तथ्यों को दौहराते हुये प्रार्थी को वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता होने से रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता नहीं होने तथा नवीन रास्ते के अंकन पश्चात प्रार्थी की खातेदारी आराजी का उपयोग नहीं रह जाने के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारीज करने का निवेदन किया।

7. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी तहसीलदार की मौका–रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–'क' का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है–

धारा 251–क– अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना–*(1) जहाँ*

उपखण्ड अधिकारी
...जी (अलवर)

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से एक नया मार्ग बनाना चाहता है, या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है—

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसा अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे, और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जॉच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि—

(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ठ नये मार्ग के मामले में, पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है—

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ—साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फिट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसे ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो **लघुत्तम या निकटतम रूट** से एक नया मार्ग जो 30 फिट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमार्ग को चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(1) जहॉ—उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(2) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ठ सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

5. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है—

> **68. Application under Sec. 251-A.** - *An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.*

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

69. Enquiry and disposal of application. *- On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-*

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

70. Determination of compensation. *- (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-*

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (D of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee; constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined.

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद–रफत हेतु अन्य

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क निम्न पूर्वशर्तों को आरोपित करती है जो इस प्रकार है–

1. *खातेदार की रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।*
2. *खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।*
3. *लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।*

7. उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या–1 में रास्ते की आत्यान्तिक आवश्कता का जिक्र किया है तथा अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता का जिक्र किया गया है। साथ ही तहसीलदार थानागाजी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 27.02.2023 से इस तथ्य की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। प्रकरण में स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। दौराने मौका निरीक्षण अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र व मौका कमीश्नर रिपोर्ट पर एतराज में अंकित वैकल्पिक रास्ते को भी देखा गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र व मौका कमीश्नर रिपोर्ट पर एतराज में अंकित वैकल्पिक रास्ता के बारे में रिकॉर्ड व मौके के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उक्त वैकल्पिक रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। साथ ही उक्त वैकल्पिक रास्ता प्रतिबंधित किस्म गैर मुमकिन राडा आदि से गुजरता है। इस प्रकार उक्त वैकल्पिक रास्ता प्रतिबंधित किस्म गैर मुमकिन राडा से गुजरने के कारण पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.05.1992 के द्वारा गैर मुमकिन राडा भूमि किस्म को प्रतिबंधित भूमि किस्म घोषित किये जाने के कारण रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार उक्त रास्ता को वैकल्पिक रास्ता माना जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा राजस्व विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.11.2004, 14.06.2013 व 30.09.2021 का हवाला देते हुये मौके पर चालु उक्त रास्तों को रिकॉर्ड में दर्ज कर प्रार्थी की आराजी तक रिकॉर्डेड रास्ते पहुंच किये जाने के प्रावधान के बारे में अवगत करवाया। उक्त परिपत्रों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि प्रतिबंधित भूमि किस्मों के अतिरिक्त भूमि किस्मों से होकर मौके पर चालू रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जा सकता है। परन्तु वर्तमान प्रकरण में मौके पर चालू रास्तों की भूमि किस्म प्रतिबंधित होने के कारण उक्त परिपत्र प्रकरण में लागू नहीं होते है। इस प्रकार उक्त मौके पर चालू रास्तों को वैकल्पिक रिकॉर्डेड रास्ता माना जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः पैरा–07 के विश्लेषण के अनुसार शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। अप्रार्थीगणों द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र एवं मौका निरीक्षण के समय प्रस्तुत आक्षेपों की पूर्ति प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर की जा चुकी है। अतः प्रार्थी का नवीन रास्ते बाबत अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के तहत आरोपित शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होने से प्रार्थी की आराजी तक नवीन रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज करने का अनुतोष स्वीकार किया जाता है। अब इसके पश्चात इस बिन्दु पर विश्लेषण किया जाना है कि उक्त नवीन रास्ता किस आराजी में से होकर किस रूट से होकर कितनी चौडाई का रास्ता का अनुतोष स्वीकार किया जाना है।

9. इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प पर विचार किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी आराजी व चाह 10/1.29 है0, 11/0.20 है0, 12/0.43 है0, 13/0.39 है0, 14/0.02 है0, 15/0.95 है0, 16/0.72 है0,

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

17/0.33 है0, 18/0.41 है0, 19/0.14 है0, 128/0.01 है0, 46/0.57 है0, 47/0.24 है0, 48/0.70 है0 वाके ग्राम सूरतगढ में पहुँच के प्रयोजन के लिए मौके पर विद्यमान मार्ग खसरा संख्या 67/0.24 है0 गै0 मुमकिन पाल वाके ग्राम सूरतगढ जहाँ गैर मुमकिन पाल की साईड में ग्रेवल सड़क बना हुआ है, वहाँ से खसरा संख्या 43/0.25 है0, 44/0.27 है0, 40/0.16 है0, 34/0.50 है0, 33/0.31 है0, 56/0.13 है0, 55/0.25 है0, 57/0.18 है0, 61/0.34 है0, 62/0.77 है0, 64/0.15 है0, 65/0.43 है0 के उत्तरी भाग से होकर करीब 4500 फीट लंबाई तथा 30 फीट चौडाई का नवीन रिकॉर्डेड रास्ता हेतु निवेदन किया है। साथ ही प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 27.02.2023 द्वारा लघुत्तम मार्ग को प्रस्तावित किया गया है। प्रकरण में स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण अनुसार प्रार्थी द्वारा आवेदित तथा मौका रिपोर्ट में अंकित रास्ता का मार्ग ही लघुत्तम मार्ग प्रतीत होता है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प मुताबिक तहसीलदार थानागाजी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 27.02.2023 द्वारा प्रस्तावित मार्ग का विकल्प को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता एवं तहसीलदार थानागाजी द्वारा दिनांक 13.02.2023 को प्रेषित की गई मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं उभय पक्षकारों को न्यायालय में पूर्व सूचित करते हुये उभय पक्षकारों की उपस्थिति में मौका निरीक्षण तथा अप्रार्थीगणों द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र एवं मौका निरीक्षण के समय प्रस्तुत आक्षेपों की पूर्ति प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर किये जाने के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क काबिल–ऐ स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार थानागाजी की दिनांक 27.02.2023 की मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार प्रस्ताव लघुत्तम मार्ग बतौर 30 फुट चौडा गैर मुमकिन रास्ता नियमानुसार भूमि एवं निर्माण, अगर कोई हो तो, की क्षतिपूर्ति राशि भुगतान तथा भूमि उपलब्ध करवाने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। प्रार्थी उक्त नवीन रास्ते में समाहित हुई अप्रार्थीगणों की खातेदारी आराजी के बदले समान अवस्थिति पर समान रकबे व गुणवत्ता की भूमि उपलब्ध करवाने का विकल्प तहसीलदार थानागाजी के समक्ष प्रस्तुत करे तथा अप्रार्थीगण अगर सहमत हो तो अप्रार्थीगणों को भूमि के बदले भूमि दर्ज रिकॉर्ड की जावे। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार थानागाजी द्वारा दिनांक 13.02.2023 को प्रेषित की गई मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं उभय पक्षकारों को न्यायालय में पूर्व सूचित करते हुये उभय पक्षकारों की उपस्थिति में मौका निरीक्षण पश्चात विश्लेषित निष्कर्ष प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार थानागाजी को आदेश दिये जाते है कि दिनांक 27.02.2023 की

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

मौका जॉच रिपोर्ट में अंकित प्रस्ताव में इंगित लाल रंग से प्रदर्शित 30 फुट चौडाई के रास्ते में आयी भूमि एवं निर्माण के एवज में राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम–70 के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि आंकलित कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि वितरित तथा रास्ते में आयी भूमि के एवज में समान अवस्थिति पर समान रकबे की भूमि उपलब्ध करवाते हुये नियमानुसार उक्त नवीन रास्ते को खाता संख्या–1 सिवायचक में सार्वजनिक उपयोग हेतु किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर अंकन किया जावें। नवीन रास्ता दर्ज करते समय अप्रार्थीगणों की पालनुमा मेडों तथा एनीकट की पाल को नुकसान नहीं पहुंचाते हुये रास्ता चालू किया जावे। दिनांक 27.02.2023 की मौका जॉच रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार थानागाजी को भिजवायी जावें।

अगर उक्त रास्ते के पेटे आई भूमि एवं निर्माण, अगर कोई हो तो, के एवज में मुआवजा राशि के बाबत उभय पक्षकारो के मध्य सहमति हो तो मुताबिक सहमति मुआवजा राशि का भुगतान प्रार्थीगण अप्रार्थीगणों को करना सुनिश्चित करे। अगर उक्त रास्ते के पेटे आई भूमि एवं निर्माण, अगर कोई हो तो, के एवज में मुआवजा राशि को लेकर उभय पक्षकारो के मध्य सहमति नहीं हो तो, तहसीलदार थानागाजी निर्णय की प्रति प्राप्त होने के 07 दिवस के अन्तर्गत उक्त रास्ते के पेटे आई भूमि एवं निर्माण, अगर कोई हो तो, के एवज में मुआवजा राशि आंकलित कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित करते हुये प्रार्थीगण को उक्त मुआवजा राशि जमा कराने हेतु तथा अप्रार्थीगणों को उक्त मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु समय सीमा निर्धारित करते हुये सूचित करे। प्रार्थीगण उक्त नोटिस की अवधि से पूर्व तहसीलदार थानागाजी द्वारा आंकलित राशि नियमानुसार जमा करावे तथा अप्रार्थीगण उक्त नोटिस की अवधि से पूर्व अपनी मुआवजा राशि प्राप्त करे। साथ ही प्रार्थी उक्त नवीन रास्ते में समाहित हुई अप्रार्थीगणों की खातेदारी आराजी के वदले समान अवस्थिति पर समान रकबे व गुणवत्ता की भूमि उपलब्ध करवाने का विकल्प तहसीलदार थानागाजी के समक्ष प्रस्तुत करे तथा अप्रार्थीगण अगर सहमत हो तो अप्रार्थीगणों को भूमि के बदले भूमि दर्ज रिकॉर्ड की जावे। उक्त नोटिस की अवधि समाप्ति के पश्चात तहसीलदार थानागाजी प्रार्थीगण के नियमानुसार मुआवजा राशि नियत तिथि तक जमा कराने तथा अप्रार्थीगण द्वारा नियत तिथि तक मुआवजा राशि/भूमि प्राप्त नहीं करने की स्थिति में मुआवजा राशि को निर्धारित मद में जमा करते हुये उक्त रास्ते के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर मौके पर उक्त रास्ते को चालू कराना सुनिश्चित करे।

यह आदेश आज दिनांक 21.07.2023 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी, अलवर
21/7/23

(केशव [illegible] मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी–अलवर